

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4059/एफ-2-103/एस-2/31/2012,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 20/09/2019

मुख्य अभियंता,
महानदी परियोजना
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

- विषय :- कोण्डागांव जिले के विकासखण्ड-कोण्डागांव के कोलियारपारा (मुनगापदर) व्यपवर्तन योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।
- संदर्भ :- 1. प्र.अ. का पत्र क्रमांक-778/बो.प्र./RAA/4171, दिनांक 29.03.2016.
2. आपका पत्र क्र.-27205/डी/जे.डी.पी./एम.आर.पी./RAA/2015/4187, रायपुर दिनांक 18.06.2019.

---00---

राज्य शासन एतद् द्वारा कोण्डागांव जिले के विकासखण्ड-कोण्डागांव के कोलियारपारा (मुनगापदर) व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु रू. 537.45 लाख (रूपये पांच करोड़ सैंतीस लाख पैतालिस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान करता है कि पुनरीक्षित लागत से योजना का कार्य पूर्ण हो जाएगा तथा अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नहीं होगी एवं वर्ष 2020 में योजना से सिंचाई प्रारंभ हो जायेगी।

2. योजना से 150 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखा शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल (3828)-लघु सिंचाई योजना, #97-निर्माण कार्य, 003-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र. 677/सी.एन.-31-02286/बजट-2/वित्त/चार/2019, दिनांक 16.09.2019 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(याकुब खान) 19/9/19

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

...2

पु.क्र. 4060 / एफ-2-103 / एस-2 / 31 / 2012,

अटल नगर, दिनांक 20/09/2019

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
- 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
- 13 अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)।
- 14 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।

अधी. अभि. ज.स. एवं कू - जल एवं. मं. रायपुर		
आवक क्र.	दिनांक	
स्थापना क्र.	सामान्य	व्यक्त
तकनीकी		निज सहा.
अधी. अभि. ज.स. एवं. कोण्डागांव. 2019.09.20. AARAA.199.docx		

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग